Title: Need to give compensation to the peasants of Rajasthan whose land is used for planning schemes aided by the Central Government.

श्री रामनारायण मीणा (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान किसानों की ज्वलंत समस्याओं की ओर उठाना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं या केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रदेशों में चलने वाली योजनाएं जिनके अंतर्गत किसानों के खेतों पर काम किया जाता है, लेकिन उनकी कृषि भूमि का उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा दे, तब यह कंपलशन होना चाहिए कि जिस किसान के खातेदारी की भूमि पर काम कराया जाए, उसको पहले मुआवजा दिया। मुआवजा दिए जाने के बाद ही किसानों की भूमि पर काम कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अभी सिंचित क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान में काम चल रहे हैं। चाहे वह चंबल योजना हो या कोटा योजना हो। उनके तहत किसानों की भूमि पर ड़ेनेज खोदी जा चुकी हैं। नहरें निकल चुकी हैं, लेकिन किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है। जो पे आर्डर १९९६ में जारी किए गए थे, उनका भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। उनके भुगतान के लिए बजट में कोई प्रावीजन नहीं किया गया है। भारत सरकार से जो पैसा आता है उसे दूसरे मदों पर खर्च कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, किसानों को उनकी भूमि का जो मुआवजा दिया जाता है, वह बहुत नामिनल होता है। जो बाहर रेट मौजूद होता है, उससो बहुत कम मुआवजा दिया जाता है और उसमें भी किसानों को उनकी पूरी भूमि का मुआवजा नहीं दिया जाता है और पे आर्डर की पालना नहीं हो रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं गांव मोतीपुरा जिला बूंदी के कालू सुपुत्र देवा की सिंचित क्षेत्र विकास योजना के अधीन भूमि ली गई, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इसी प्रकार से नंदू बेरवा की भूमि पर बाएं भाग की मुख्य नहर कोटा बन चुकी है। अनुसूचित जाति के इस व्यक्ति को १-३-१९९६ को पे आर्डर नं.१९१ भू-आवास, तहसीलदार कोटा ने भुगतान के आदेश दिए, लेकिन पे आर्डर का भुगतान नहीं हुआ। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिनमें पे आर्डर जारी किए गए हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। १९९६ से १९९८ आ गया लेकिन पे आर्डरों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकारों को इस बारे में यहां से आदेशित किया जाए कि जिन किसानों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उनको तत्काल मुआवजा दिया जाए। मैं विशेष रूप से राजस्थान सरकार को यहां से आदेशित करने का आग्रह करूंगा ताकि गरीब किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा मिल सके।

धन्यवाद।